रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 220] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 1972/भाद्र 3, 1894
No. 220] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 1972/BHADRA 3, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 25th August 1972

G.S.R. 390(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of ru of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts density polyethelene monofilament yarn of 60 deniers and above falling u Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

[No. 194/

J. P. KAUSHIK, Under

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 1972

सा० का० नि० 390.(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले 60 डेनियर और उससे अधिक के हाई डेन्सिटी पालिएथिलीन एकल-रेशे के सूत को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से एतद्द्वारा छूट देती है।

[सं० 194/72]

जे० पी० कौशिक, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972